

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संवल पखवाड़ा शिविर तोगावास

अनुवान कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या १५७/2025

निर्णय दिनांक ०२/०७/२५

कृष्ण कुमार पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी कौहिणा तहसील तारानगर जिला चूरु

बनाम  
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी


—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संवल पखवाड़ा शिविर तोगावास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 97 खसरा नं. 283/102 तादादी 6.0696 हैक्ट., भूमि रोही ग्राम गलगटी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णराम पुत्र गोविन्दराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र गोविन्द राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम कृष्ण कुमार पुत्र गोविन्द राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर के खाता संख्या 97 खसरा नं. 283/102 तादादी 6.0696 हैक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कृष्णराम पुत्र गोविन्दराम Delete कर इसके स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र गोविन्द राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ०२/०७/२५ को कैम्प कोर्ट तोगावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)